

क्रमांक एवं
आदेश
की तिथि
1

पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर

2

07. 9. 22

अभिलेख उपस्थापित,
उभय-पक्ष अनुपस्थित,
विगत कई वर्षों से मोरिस प्राप
के वाद भी उक्त वाद में उभय-पक्ष
अनुपस्थित रहे हैं, जिससे प्रतीत होता
है कि, पक्षों के बीच वाद से अमरुचि
नहीं है, अतः बिना किसी प्रभावकारी
आदेश के वाद-की कार्यवाही समाप्त
की जानी है,


अपर उपायुक्त
लखनऊ,